प्राथमिक्ता

संख्या-3/974/नौ.-9-13-7घो0/12

प्रेषक,

सी0बी0 पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0।

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
नगर आयुक्त,
नगरनिगम,
आगरा।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 2013

विषय: नगरीय स्थानीय निकायों में रिक्शा चालकों के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर शासनादेश संख्या-161सी.एम./9-9-97-23ज/97 दि0 16 दिसम्बर, 1997 के क्रम में शासनादेश संख्या-98/9-9-2004-23ज/97टी.सी. दि0 05 फरवरी, 2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिक्शा (निजी चलित) पर आरोपित लाइसेंस शुल्क रू0 75.00 को समाप्त करते हुए हय निर्देश जारी किये गये है कि रिक्शा चालकों के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिये कोई फीस/शुल्क देय नहीं होगा।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 2004 द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने के बावजूद नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा रिक्शा चालकों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है और न ही उनके पंजीकरण की अद्यतन सूचना संग्रहित की जा रही है, जबकि उक्त शासनादेश में रिक्शा चालकों के लिये पंजीकरण/नवीनीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। कृपया नागर निकाय क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर रिक्शा चालकों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बंध में समेकित रिर्पोट शासन को 10 दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0, प्रतिदिन उक्त का अनुश्रवण करके अद्यतन स्थिति से निदेशक, सूडा तथा प्रमुख सचिव नगर विकास को अवगत कराते रहेंगे।

उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

ह0/-
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-974(1)/नौ-9-2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्य मंत्री, नगर विकास विभाग।
2. निदेशक, सूडा, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)
4. गार्ड फाइल/वबेसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,
ह0/-
(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in